

**Jharkhand State Pollution Control Board  
Government of Jharkhand**



**DIPP Point No. 245**

Question	Remarks
<p>9a. Inspection reform enablers</p> <p><b>Q:</b> Exempt Green industries with a history of satisfactory compliance from environmental compliance inspection, or allow self-certification (in lieu of conducting physical inspections)</p>	<p>Green industries are given consent for 15 years based on self certification and are inspected only once in 15 years. since the time period is too long, it is equivalent to exemption.</p>
<p>URL: <a href="http://www.jspcb.org/pdf/1971.pdf">http://www.jspcb.org/pdf/1971.pdf</a></p> <p><a href="http://www.jspcb.org/Notification/Notification%20letter%20no.%20G-1358%20dated%2001.05.2015.pdf">http://www.jspcb.org/Notification/Notification%20letter%20no.%20G-1358%20dated%2001.05.2015.pdf</a></p>	

<http://www.jspcb.org/pdf/1971.pdf>



अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को वर्षद्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नलिखित निर्गत किए जाएंगे :-

1) Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाइयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे । इन इकाइयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

2) Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाइयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे ।

a) Orange Category में low risk इकाइयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

b) Orange Category में High risk इकाइयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

Self Certification  
for green  
industries

3) Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाइयों को पर्यटन द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाइयों का निरीक्षण पर्यटन द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर सातों के एक्सचेंज पर्यटन करने की स्थिति में सहमति पर की वेबसाइट समझ ली जा सकती है ।

छ/ -  
(संजय कुमार मुजुमा)  
उपस्थल अधिकारी

आचार्य \_\_\_\_\_ सैथी, दिनांक \_\_\_\_\_  
प्रतिनिधि :- प्रधान सचिव, इन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार सैथी/ सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, सैथी/ सचिव खान एवं मूल्य विभाग, झारखण्ड सरकार, सैथी/ निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, सैथी को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

छ/ -  
(संजय कुमार मुजुमा)  
उपस्थल अधिकारी

इकाई सं. B-1968 सैथी, दिनांक 15/6/15  
प्रतिनिधि :- सभी क्षेत्रीय पर्यावरण/ पर्यटन विस्तार/ सभी पर्यावरण/ झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यटन/ पर्यटन सूचना पट्ट/ पर्यटन website पर upload करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु निर्गत ।  
(संजय कुमार मुजुमा)  
उपस्थल अधिकारी

**Jharkhand State Pollution Control Board  
Government of Jharkhand**



<http://www.jspcb.org/Notification/Notification%20letter%20no.%20G-1358%20dated%2001.05.2015.pdf>



**झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद**

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची  
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651-2400850

पत्रांक 61338

राँची, दिनांक 1.5.15

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरी श्रेणी की वैसी इकाईयाँ जो माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या-19628-19629/09-दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 27.02.2012 से आच्छादित नहीं है, में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता झारखण्ड राज्य में नहीं है। हरी श्रेणी के इकाईयों की विस्तृत सूची पर्षद के वेब साईट [www.jspcb.org](http://www.jspcb.org) पर उपलब्ध है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में किसी भी इकाई के विद्युत संयोजन (connection) हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते कि पर्षद के द्वारा विद्युत विच्छेद आदेश सम्बन्धित इकाई के विरुद्ध पूर्व में नही दिया गया है।

# **SUPPORTING DOCUMENT**



# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651--2400850

अधि0 सं0:- B-06

राँची, दिनांक:- 15/6/15

## अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाएंगे :-

- 1) Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाइयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे । इन इकाइयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- 2) Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाइयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे ।
  - a) Orange Category में low risk इकाइयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
  - b) Orange Category में High risk इकाइयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

- 3) Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को पर्षद द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्षद द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

ह0/-  
(संजय कुमार शुभन)  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक .....

राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार राँची/ सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-  
(संजय कुमार शुभन)  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक B-1968

राँची, दिनांक 15/6/15

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षद विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/पर्षद सूचना पट्ट/ पर्षद website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(संजय कुमार शुभन)  
सदस्य सचिव

# **SUPPORTING DOCUMENT**





# JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004

Phone.:2400852, 2400851, Fax:0651-2400850

Notification No. B-04.....

Ranchi, Date: 31/3/16

## NOTIFICATION

In pursuance of the **letter no. B-29012/ESS(CPA)/2015-16/8574, dated March 07, 2016** of the Central Pollution Control Board regarding harmonization of classification of industrial sectors under Red/Orange/Green and White categories, the Jharkhand State Pollution Control Board hereby adopts the said classification. The details of the classification of industries are attached herewith.

This order is issued in supersession of Notification No. B-01 dated 01.01.2013 of the Jharkhand State Pollution Control Board and will come into force with effect from 1st April, 2016.

Sd/-

(Sanjay Kumar Suman)

Member Secretary

Memo No. B-2436.....

**Copy to** : Chairman/Member Secretary, Central Pollution Control Board, Delhi for information and necessary action.

Ranchi, Dated: 31/3/16

Sd/-

(Sanjay Kumar Suman)

Member Secretary

Memo No. B-2436.....

**Copy to** : Additional Chief Secretary, Department of Industries, Mines & Geology, Govt. of Jharkhand/  
Principal Secretary, Forest, Environment and Climate Change, Govt. of Jharkhand/  
Conservator of Forest, Jharkhand for information and necessary action.

Ranchi, Dated: 31/3/16

Sd/-

(Sanjay Kumar Suman)

Member Secretary

Memo No. B-2436.....

**Copy to** : Director, Industries, Govt. of Jharkhand/Director, Mines, Govt. of Jharkhand/  
Secretary, SIEAA, Jharkhand for information and necessary action.

Ranchi, Dated: 31/3/16

Sd/-

(Sanjay Kumar Suman)

Member Secretary

Memo No. B-2436.....

**Copy to** : Section Head, Head Office/All R.O's/Board Analyst for information and necessary action.

Ranchi, Dated: 31/3/16

(Sanjay Kumar Suman)

Member Secretary